

राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी को BOT (Built Operate and Transfer) माडल के अर्न्तगत पी0पी0पी0 मॉड में संचालन हेतु इच्छुक प्रस्तावकों के लिए Exprssion of Interest

1- कार्य का विवरण:- राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी को **BOT Built operate and Transfer Model** के अर्न्तगत पी0पी0पी0 मोड **Public private partnership** में संचालन।

2- कार्य क्षेत्र:-

क्र० सं०	रा0गां0न0वि0 का नाम	स्थान	शिक्षा विभाग के नाम पंजीकृत/बावंटित भूमि का क्षेत्रफल (हे०)
1	रा0गां0न0वि0 बागेश्वर	आमसरकोट	2.00 (हे०)
2	रा0गां0न0वि0 रुद्रप्रयाग	सुमाडी भरदार	2.071 (हे०)
3	रा0गां0न0वि0 उधमसिंह नगर	तुमरिया रेवाइन्स जसपुर	4.929 (हे०)
4	रा0गां0न0वि0 उत्तरकाशी	दीवारीखोल बनचौरा	2.09 (हे०)

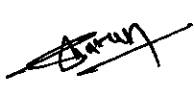
3- छात्र संख्या का विवरण:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा चयनित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या	प्रस्तावक द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या
1	रा0गां0न0वि0 बागेश्वर, आमसरकोट	420	210	210
2	रा0गां0न0वि0 रुद्रप्रयाग, सुमाडी भरदार	420	210	210
3	रा0गां0न0वि0 उत्तरकाशी, दीवारखोल बनचौरा	420	210	210
4	रा0गां0न0वि0 उधमसिंह नगर, तुमरिया रेवाइन्स जसपुर	840	420	420

3-इच्छुक फर्म/प्रस्तावक निम्नवत् मानकों/अपबन्धों के अधीन कार्य हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

A- प्रस्तावकों के दायित्व:-

1. शासन द्वारा निर्धारित विद्यालय भवन के मानचित्र के अनुसार (कक्षा कक्ष, प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाये, छात्रावास, क्रीडा मैदान, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, स्टाफ रुम, मेडिकल रुम, कला कक्ष पुस्तकालय, स्टाफ आवास आदि का) गुणवत्ता युक्त निर्माण किया जायेगा।

2. प्रस्तावक द्वारा 50 प्रतिशत सीमा के अर्न्तगत अर्थात् 30 छात्र/छात्राओं को जनपद- बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी तथा 60 छात्र/छात्राओं को उधमसिंह नगर में प्रवेश दिया जा सकेगा परन्तु उक्त छात्र/छात्राओं के घोषित दर जोकि शासन द्वारा अनुमोदित हो की दर से ही शुल्क प्राप्त किया जा सकेगा।
3. अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को समान रूप से गुणवत्ता युक्त शिक्षण, आवासीय सुविधा, भोजन व्यवस्था, पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी, पुस्तकालय सुविधा, चिकित्सकीय सुविधा, दैनिक उपभोग की सामग्री, शैक्षणिक भ्रमण, फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराना।
4. शासनदेश संख्या-2470/xxiv-3/15/04(57)2005 दिनांक 08 फरवरी, 2016 के द्वारा विद्यालय में प्राचार्य 01, उप प्राचार्य 01, पी0जी0टी0, 11 टी0जी0टी0, 14 एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों सहित कुल 48 पद अनुमन्य किये गये हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रस्तावक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारी जनशक्ति को निर्धारित वेतनमान पर कार्ययोजित करेगा। शिक्षक/कर्मचारियों की सेवा शर्त आवासीय विद्यालय के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमावलियों के आलोक में होगी।
5. स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।
6. विद्यालय सह शिक्षा के अर्न्तगत आवासीय विद्यालय है अतः स्टाफ में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना।
7. विद्यालय कार्यो हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना।
8. विद्यालय अनुरक्षण की यथा समय व्यवस्था करना।
9. सभी नियमबद्ध/बैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना।
10. प्रोजेक्ट अवसंरचना के अप्राधिकृत प्रयोग को निषेध करना।
11. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
12. संस्था में लिगभेद रोकना तथा छात्र/छात्राओं के उत्पीड़न रोकने हेतु समितियों का गठन किया जायेगा।

B- राज्य सरकार के दायित्व:-

1. राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क निर्विवाद भूमि विद्यालय निर्माण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। शासनादेश संख्या 1171/xxiv-3/12/02 (01)11 दिनांक 24 सितम्बर 2012 द्वारा राज्य सरकार द्वारा Project cost 13.35 करोड का 50 प्रतिशत VGF (Vibility Gap Funding) की जायेगी।
2. कक्षा में 50 प्रतिशत सीमान्तगत अर्थात् 30 छात्र/छात्राओं को कक्षा-6 में प्रवेश परीक्षा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के अनुसार प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा चयनित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या	प्रस्तावक द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या
1	रा0गां0न0वि0 बागेश्वर, आमसरकोट	420	210	210
2	रा0गां0न0वि0 रुद्रप्रयाग, सुमाडी भरदार	420	210	210
3	रा0गां0न0वि0 उत्तरकाशी, दीवारखोल बनचौरा	420	210	210
4	रा0गां0न0वि0 उधमसिंह नगर, तुमरिया रेवाइन्स जसपुर	840	420	420

3. प्रस्तावक द्वारा राज्य सरकार द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं को विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षण व्यवस्था/आवासीय व्यवस्था/भोजन व्यवस्था, पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी, दैनिक उपभोग की सामग्री, गणवेश, कीड़ा सामग्री, फर्नीचर, पुस्तकालय, शैक्षणिक भ्रमण एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दरे अंकित की जायेगी। जिनमें प्रत्येक 02 वर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रस्तावक को उक्त अंकित दरों पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।

4. पूंजी एवं राजस्व अनुदान हेतु बजट में प्रावधान करवाना।

5. लेखा परिक्षण एवं अनुश्रवण, अनुबन्ध प्रबन्धन।

4- विद्यालय का प्रकार:- राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी में कक्षा-6 से कक्षा-12 तक सह शिक्षा के अन्तर्गत संचालित एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (CBSE) से सम्बद्ध पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। छात्र-छात्राओं का विद्यालय प्रांगण में छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।

अवधि:- अनुबन्ध की अवधि 30 वर्ष होगी जिसे अवधि पूर्ण होने के उपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा/अन्यथा शिक्षा विभाग को विद्यालय की सम्पूर्ण सम्पति हस्तान्तरित करनी होगी।

विद्यालय का संचालन संतोषप्रद न होने की स्थिति में अनुबन्ध, उभय पक्षों द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार पूर्व में भी समाप्त किया जा सकेगा।

5- प्रस्तावक को निम्नानुसार अनुपालन करना होगा:-

6- प्रस्तावक को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960/भारत में भारतीय ट्रस्ट 1982 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट भारतीय कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत सेक्शन 25 कम्पनी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

7- प्रस्तावक की Society/Turst/Turn over/ Company की net worth शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

8- प्रस्तावक की Society/Turst/ Company द्वारा विगत तीन वर्षों का आईटी0आर0 एवं ऑडिट आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

9- प्रस्तावक द्वारा मानव संसाधन का किसी प्रकार से उत्पीडन नहीं किया जायेगा।

10- प्रस्तावक द्वारा वित्तीय विनियम/चैक के माध्यम से किया जायेगा।

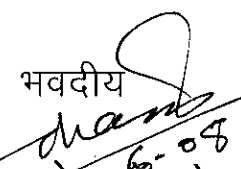
EOI आवेदन का पता:-

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,

उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।

फैक्स नम्बर 0135-2781903, फोन नम्बर 0135-2781440, पिन 248001,

ई-मेल uksecedu@gmail.com

भवदीय

(आर0के0कुंवर)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
